सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 30, *मंगलवार, शाके 1942–जुलाई* 21, 2020 *Asadha 30, Tuesday, Saka 1942–July 21, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, मार्च 12, 2020

संख्या एफ 8 /आरटीयू/संगठन/बहाली/19/6380 :-चुरु जिला भवन एवं सनिर्माण श्रमिक यूनियन (सीटू) पिलानी रोड, थाने के पास, सादुलशहर (चुरु) जिसकी पंजीयन संख्या आरटीयू/बीकेएन/07/2011 है, का पजीयन दिनांक 6.8.2011 को हुआ था। उक्त संगठन द्वारा अधिनियम 1926 की धारा-28 के अन्तर्गत वार्षिक आय व्यय विवरण वर्ष 2012 से 2017 तक प्रस्तुत नही करने तथा भवन एवम सनिर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 के तहत भवन एवम सनिर्माण उद्योग में लगे श्रमिको की श्रमिक डायरी बनाने के लिए की गई अनुशषा के अनुसार प्रत्येक माह उन सदस्यों की सूची स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध नही कराने के कारण अति रजिस्ट्रार ऑफ टैड यूनियन एवम सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक 314 दिनांक 13.2.2019 द्वारा पजीयन निरस्त कर दिया गया था।

उक्त श्रम संगठन के संबंध में प्रदेशाध्यक्ष सीटू, राजस्थान राज्य कमेटी जयपुर द्वारा दिनांक 18.6.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर, निवेदन किया गया कि सगठन द्वारा उक्त निहित वर्षो के आय-व्यय विवरण के आधार पर पंजीयन को निरस्त करने की शक्तियां रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स राजस्थान को प्रदत्त है। तथा वर्ष 2012 से 2017 तक का वार्षिक आय व्यय विवरण निहित फार्म में मुख्यालय को निहित समयावधि में प्रस्तुत कर दिया गया। उसके बावजूद बीकानेर कार्यालय द्वारा उनके सगठन के पजीयन को निरस्त कर दिया गया, जिसे बहाल किया जावे।

अतः ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रावधानों, प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त श्रम सगठन के पजीयन का निरस्तीकरण आदेश 314 दिनांक 13.2.2019 विधिसंगत एवम विधि सम्मत नही होने के कारण मैं पतंजलि-भू रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन्स एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई. आर.) राज. जयपुर चुरु जिला भवन एवम संनिर्माण श्रमिक यूनियन (सीटू)-चुरु, पजीयन संख्या आरटीयू/बीकेएन/7/2011 के निरस्त किये गये पंजीयन को पुनः बहाल करने के आदेश देता हूं ।

पतंजलि भू,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर

3662

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।